—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 234 / 2024

उनवान

1. कालूराम पुत्र तेजू
2. हरिराम उर्फ श्रीराम पुत्र तेजू समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम मोराझडी, नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. भगवत पुत्र सोदान जाट नि. साम्प्रोदा, नसीराबाद,
2. मैनेजर बैंक आफॅ बडौदा, रामसर, नसीराबाद,
3. राज. सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

—— प्रतिवादीगण :— 1 व 2 अनुपस्थित, 3 जरियें राज. पैरोकार

4. गोलू पुत्र सायरमल,
5. छगना पुत्र रामकरण,
6. झनक्या पुत्री तेजू,
7. टेमा पुत्री सायरमल,
8. मुकेश पुत्र सायरमल,
9. मून्जू पुत्री सायरमल,
10. मनोहर पुत्री तेजू,
11. रतना पुत्र रामकरण,
12. सांवरलालल पुत्र तेजू जाति कुम्हार नि. मोराझडी, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :— 4, 5, 8, 11, 12 रियें अधिवक्ता श्री रणजीत रावत
शेष अनुपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 183, 188 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 28.11.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोराझडी के हाल खसरा नम्बर 33 रकबा 0.93 की आराजी वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की खातेदारी व काश्तकारी की है। खातेदार हंगामी पत्नी तेजू की मृत्यु हो गयी है, जो वादीगण की माता ही है। आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा गत 1 वर्ष पूर्व जबरदस्ती कब्जा कर लिया है तथा वादीगण को फसल काश्त नहीं करने दे रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 बिना किसी अधिकार के उक्त आराजी [illegible] र आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा से प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलवाया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा [illegible] किया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:07:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6, 7, 9 व 10 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 4, 5, 8, 11 व 12 की ओर से अधिवक्ता श्री रणजीत रावत ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।
प्रकरण में खण्डन नही होने से तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा कोई साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम मोराझडी के हाल खसरा नम्बर 33 रकबा 0.93 की आराजी वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की खातेदारी व काश्तकारी की है। खातेदार हंगामी पत्नी तेजू की मृत्यु हो गयी है, जो वादीगण की माता ही है। प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने वाद को कोई खण्डन पेश नही किया है। प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजी पर कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व वाद के कथनों से प्रकरण वादीगण के पक्ष में सिद्व होता है। प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही होने व वादी को कोई खण्डन पत्रावली पर नही होने के कारण वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 बेदखली प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम मोराझडी के हाल खसरा नम्बर 33 रकबा 0.93 की आराजी पर वादीगण का वाद **''स्वीकार''** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल कर कब्जा वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को दिलवाने की कार्यवाही करावे। प्रतिवाद संख्या 1 को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:07:50 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

कालूराम बनाम भगवत

दावा बाबत :–88, 188, 183 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 234 / 2024
पेश करने की दिनांक – 5.11.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई रण्जीत रावत राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम मोराझडी के हाल खसरा नम्बर 33 रकबा 0.93 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल कर कब्जा वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को दिलवाने की कार्यवाही करावे। प्रतिवाद संख्या 1 को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 28 माह 11 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:07:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)